क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम(JSSK)

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): ब्लड ट्रांसफ्युजन

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): A.1.7.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

बिहार राज्य में महिलाओं में रक्तालपता का प्रतिशत लगभग 63% है एवं कम उम्र में माँ बनने का प्रतिशत भी अधिक है जो कि अंततः मातृ–मृत्यु अनुपात को बढ़ाने में मुख्य कारणों में एक है । वर्तमान में राज्य में लगभग 66 स्वास्थ्य संस्थानों में सिजेरियन ऑपरेशन की व्यवस्था प्रारंभ की गई है, ऐसे स्थानों पर प्रसव के समय ब्लड ट्रांसफ्युजन की व्यवस्था का होने से चिकित्सकों में यह आत्मविश्वास होता है कि यदि किसी कारण रक्त की आवश्यकता होगी तो तत्काल इसकी व्यवस्था की जा सके परंतु सभी स्थानों पर ब्लड स्टोरेज की सुविधा या उस ग्रुप के रक्त के अभाव में ब्लड ट्रांसफ्युजन की सेवा उपलब्ध नहीं होती है।

अतः **"जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम'** Janani Sishu Suraksha Karyakaram(JSSK) के अंतर्गत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली सभी गर्भवती माताओं को प्रसव के दौरान अगर रक्त की आवश्यकता है तो उसे निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्युजन की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है ।

इकाई राशि (रू० में) :300 / –प्रति ब्लड ट्रांसफ्युजन से संबंधित केस हेतु

वित्तीय दिशा निर्देश :

इस गतिविधि के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति वैसे सभी स्वास्थ्य संस्थानों को 300 / –रूपये प्रति सीजेरियन प्रसव के आधार पर राशि आवंटित करेगी ।

यह राशि उस संस्थान के रोगी कल्याण समिति के एकाउन्ट में हस्तांतरित कर दिया जायेगा। रोगी कल्याण समिति रक्त भंडारण, Consumables (Blood Bags reagent etc) तथा परिवहन के लिये व्यय किये जाने वाले सभी प्रकार की गतिविधियों में इसका व्यय कर सकती है। अर्थात किसी भी परिस्थिति में ब्लड ट्रांस्फ्यूजन हेतु प्रसूति महिला से कोई भी राशि की मांग नहीं की जाएगी ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) बिहार सरकार का संकल्प– ज्ञापांक 12 / प०–विविध–08–23 / 11 216, दिनांकः 21.08.2012
(ख) SHSB/MCH/114/2012/7670, दिनांकः 15 / 09 / 2012
(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम : गौरव कुमार, उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर : 9431005972,

13/7/13 10/7/13

46

बिहार सरकार

<u>स्वास्थ्य विभाग</u>

<u>संकल्प</u>

विषयः- Janani Sishu Suraksha Karyakaram (JSSK) "जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" के अन्तर्गत राज्य के सभी गर्भवती माताओं एवं बीमार नवजात शिशुओं को निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में ।

1. "जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" Janani Sishu Suraksha Karyakaram (JSSK) राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर आए सभी गर्भवती माताओं एवं बीमार नवजात शिशुओं की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ हेतु पहल है । इस पहल के अन्तर्गत सभी गर्भवती महिलाओं तथा जन्म से 30 दिनों के भीतर तक बीमार नवजात शिशुओं के लिए निम्नलिखित स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी है :-

गर्भवती महिलाओं के लिए -

(i) निःशुल्क प्रसव ;

(ii) निःशुल्क जटिल प्रसव ;

(iii) निःशुल्क डायग्नॉसिस (रक्त, यूरीन जाँच, अल्ट्रासोनोग्राफी एवं अन्य सभी प्रकार के आवश्यक जाँच) ;

(iv) ठहरने के दौरान निःशुल्क भोजन-सामान्य प्रसव हेतु तीन दिनों तक एवं सिजेरियन सेक्शन हेतु सात दिनों तक ;

(v) निःशुल्क औषधि ;

(vi) निःशुल्क रक्त का प्रावधान ;

(vii) रेफरल केसों में घर से सरकारी स्वास्थ्य संस्थान तक एवं वापस घर तक छोड़ने तक निःशुल्क यातायात सुविधा, रोगी वाहन का नामकरण "जय प्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस" होगा ;

(viii) उपयोगकर्ता शुल्क (User charges) की छूट ;

जन्म से 30 दिनों के भीतर तक बीमार नवजात शिशुओं के लिए -

(i) निःशुल्क डायग्नॉसिस (रक्त, यूरीन जाँच, अल्ट्रासोनोग्राफी एवं अन्य सभी प्रकार के आवश्यक जाँच) ;

(ii) रेफरल केसों में घर से सरकारी स्वास्थ्य संस्थान तक एवं वापस घर तक छोड़ने तक निःशुल्क यातायात सुविधा "रोगी वाहन का नामकरण" जय प्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस" होगा ;

(iii) निःशुल्क रक्त का प्रावधान ;

(iv) निःशुल्क उपचार ;

(v) निःशुल्क औषधि ;

(vi) उपयोगकर्ता शुल्क (User charges) की छूट ;

R 12/7/13

2. वर्तमान में इस मामले में उपयोगकर्ता शुल्क (User charges) सेवा को छोड़ शेष सभी स्वास्थ्य सुविधाएँ राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दी जा रही हैं । **उपयोगकर्ता शुल्क** (User charges) **(गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु)** के क्रम में सरकार के संकल्प 424(प०क०) दिनांक 17.05.06 की कंडिका 6 में प्रावधान किया गया है कि गरीबी रेखा के नीचे के रहने वाले व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को निम्नांकित निबंधन शुल्क से छूट दिया गया है :-

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 1 रूपया (सिर्फ एक बार)

(ख) अनुमंडल /सदर अस्पताल- 2 रूपया (सिर्फ एक बार)

(ग) मेडिकल कॉलेज अस्पताल - 5 रूपया (सिर्फ एक बार)

3. उक्त प्रावधान को संशोधित कर अब यह छूट, गरीबी रेखा के नीचे के रहने वाले व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ अन्य सभी गर्भवती महिलाओं तथा बीमार नवजात शिशुओं को देने का निर्णय लिया गया है ।

4. उपरोक्त कंडिका-2 में प्रस्तावित सुविधा प्रदान हेतु अनुमानित 22.41 लाख रूपया का वित्तीय बोझ राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा (परिशिष्ट-1 सलंग्न) ।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपर्युक्त संकल्प की पांच सौ प्रतियां बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाए तथा विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/8/12

(बिमला प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/प०-विविध-08-23/11 698(3)/पटना, दिनांक - 21-8-12

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । निदेश है कि इस संकल्प की पांच सौ प्रतियां विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

21/8/12

सरकार के संयुक्त सचिव

13/7/13

44

ज्ञापांक-12/प0-विविध-08-23/11- 628(12)/पटना, दिनांक -21-8-12
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

21/8/12
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/प0-विविध-08-23/11- 628(12)/पटना, दिनांक -21-8-12
प्रतिलिपि-मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त के सचिव/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के आयुक्त के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

21/8/12
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/प0-विविध-08-23/11- 628(12)/पटना, दिनांक - 21-8-12
प्रतिलिपि-मंत्री स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि-सरकार के सभी विभाग/स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी जिला उप विकास आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं /सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/8/12
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/प0-विविध-08-23/11- 628(12)/पटना, दिनांक - 21-8-12
प्रतिलिपि- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/8/12
सरकार के संयुक्त सचिव

13/7/13

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

संजय कुमार, भा०प्र०से०
सचिव, स्वास्थ्य-सह-
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक:SHSB/MCH/114/2012/7670

सेवा में,

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल
सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार
सभी सिविल सर्जन-सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

पटना, दिनांकः 15/09/2012

विषयः जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम(JSSK) अंतर्गत प्रचार-प्रसार तथा प्रगति प्रतिवेदन प्रतिवेदित करने के संबंध में।

प्रसंग:-: बिहार सरकार का संकल्प- ज्ञापांक:12/प0-विविध-08-23/11 216, दिनांकः 21.08.2012

महाशया/महाशय,

"जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" Janani Sishu Suraksha Karyakaram(JSSK) के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली सभी गर्भवती माताओं एवं बीमार नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाना है । उक्त के क्रम में सभी गर्भवती महिलाओं तथा जन्म से 30 दिनों के भीतर तक बीमार नवजात शिशुओं के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार का प्रासंगिक संकल्प का संदर्भ करना चाहेंगे, जिसमें प्रावधानित है कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सभी गर्भवती महिलाओं तथा जन्म से 30 दिनों के भीतर तक बीमार नवजात शिशुओं को निम्नलिखित निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है ।

गर्भवती महिलाओं के लिएः

क्र०सं०	निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं	वित्तीय प्रावधान
1	निःशुल्क प्रसव	JSY/JSSK
2	निःशुल्क जटिल प्रसव	JSY/JSSK
3	निःशुल्क डायग्नॉसिस (रक्त, यूरीन जाँच, अल्ट्रासोनोग्राफी एवं अन्य सभी प्रकार के आवश्यक जाँच)	B13.2a
4	ठहरने के दौरान निःशुल्क भोजन-सामान्य प्रसव हेतु तीन दिनों तक एवं सिजेरियन सेक्शन हेतु सात दिनों तक	राज्य बजट- बज शीर्ष- आहार एव पथ्य
5	निःशुल्क औषधि	B.16.2.5a
6	निःशुल्क रक्त का प्रावधान	A.1.6.1.2
7	रेफरल केसों में घर से सरकारी स्वास्थ्य संस्थान तक एवं वापस घर तक छोड़ने तक निःशुल्क यातायात सुविधा	B.12.2
8	उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges) की छूट	बिहार सरकार का संकल्प-ज्ञापांकः 12/प0-विविध-08-23/11 के आलोक में शुल्क नहीं लिया जाना है ।

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014

Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,

Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

जन्म से 30 दिनों के भीतर तक बीमार नवजात शिशुओं के लिए :

क्र०सं०	निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं	वित्तीय प्रावधान
1	निःशुल्क डायग्नॉसिस (रक्त, यूरीन जाँच, अल्ट्रासोनोग्राफी एवं अन्य सभी प्रकार के आवश्यक जाँच)	B13.2a
2	रेफरल केसों में घर से सरकारी स्वास्थ्य संस्थान तक एवं वापस घर तक छोड़ने तक निःशुल्क यातायात सुविधा	B.12.2
3	निःशुल्क रक्त का प्रावधान	A.1.6.1.2
4	निःशुल्क उपचार	
5	निःशुल्क औषधि	A.1.6.4
6	उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges) की छूट	बिहार सरकार का संकल्प–ज्ञापांकः 12/प0–विविध–08–23/11, दिनांकः 21.08.2012 के आलोक में शुल्क नहीं लिया जाना है ।

उपरोक्त तालिका में स्वास्थ्य सेवाएं के सामने इंगित बजट शीर्ष/ज्ञापांक में वित्तीय वर्ष 2012–13 के वित्तीय दिशा निर्देश में उल्लेख किया गया है ।

उक्त कार्यक्रम को प्रभावी कार्यान्वयन एवं सर्वसाधारण जानकारी एवं जनता के बीच प्रचार–प्रसार हेतु जिला स्तर से निम्नलिखित माध्यमों से व्यापक आइ.ई.सी/बी.सी.सी कराया जाने हेतु निदेश दिया जा रहा है ।

जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के इकाईयों में सभी प्रमुख स्थानों (मुख्य द्वारा, प्रसूति कक्ष, महिला एवं नवजात शिशु वार्ड एवं बाह्य रोगी कक्ष) पर संलग्नक 1 में दिए गए प्रारूप अनुसार होर्डिंग, वाल पेंटिंग एवं प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व जाँच के दौरान दिये जाने हेतु एक पृष्ठ की Pamphlet की मुद्रण किया जाना है। सुनिश्चित करें कि इसका व्यापक प्रचार–प्रसार हो तथा सभी State holders की कार्यक्रम के तहत दिये जाने वाले entitlement की जानकारी हो । होर्डिंग, बोर्ड डिस्प्ले एवं वाल पेंटिंग एवं Pamphlet का मुद्रण एवं व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के वित्तीय दिशा निर्देश क्रमशः FMR Code: B.10.2 d, B.10.2e तथा B.10.2g मद के अनुसार किया जाना है ।

रिपोर्टिंग प्रणालीः

इस कार्यक्रम के अंतर्गत मासिक प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रतिवेदित परिपत्र संलग्न कर भेजते हुए निदेशित है कि प्रत्येक माह परिपत्र में उल्लेखित संबंधी आंकडें भेजना सुनिश्चित किया जाय । साथ ही निदेशित है कि पत्र निर्गत माह से उक्त संबंधी आंकड़ों को विहित मासिक प्रपत्र में Email Id-ddmch.bihar@yahoo.com/ mch@statehealthsocietybihar.org पर अथवा पत्राचार द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अगले माह के पहले सप्ताह तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि भारत सरकार को ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा सके।

अनुलग्नकः– संलग्नक-I
मासिक प्रपत्र ।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)

बिहार सरकार

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

153

ज्ञापांकः– 7670 पटना, दिनांकः– 15/09/2012

प्रतिलिपिः–

- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम एवं लेखा प्रबंधक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/9/2012

सचिव, स्वास्थ्य–सह–
कार्यपालक निदेशक